



प्रेस नोट थाना पुवायां जनपद शाहजहाँपुर



सराहनीय कार्य दिनांक : 20.07.2025

“पुवायाँ पुलिस जनपद शाहजहाँपुर द्वारा मुखबिर की सूचना पर नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने तथा उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध के बाद हत्या के प्रयास करने वाले अभियुक्त को किया गिरफ्तार”

श्रीमान पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर महोदय के निर्देशनुसार, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन में व श्रीमान क्षेत्राधिकारी पुवायाँ के कुशल पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे अपराध रोकधाम व गिरफ्तारी वाँछित अभियुक्त के क्रम में पुवायाँ पुलिस जनपद शाहजहाँपुर द्वारा मुखबिर की सूचना पर नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने तथा उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध के बाद हत्या के प्रयास करने वाले अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 20.07.2025 को थाना पुवायां पर वादिनी की लिखित सूचना के आधार पर बनाम अज्ञात के विरुद्ध वादिनी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 514/2025 धारा 137 (2) बीएनएस पंजीकृत कराया था। जिसकी विवेचना उ0नि0 श्री विशाल द्वारा प्रारम्भ की गयी तथा घटना की सूचना तत्काल अधिकारीगण को दी गयी। दौराने विवेचना मुकदमा उपरोक्त की अपहृता/पीड़िता को बरामद कर साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियोग मे धारा 87/65(1)/109(1) बीएनएस व 3/4 (2) पाक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी।

आज दिनांक 20.07.2025 को थाना पुवायाँ पुलिस टीम को मुखबिर खास द्वारा सूचना मिली कि थाना हाजा मु0अ0सं0 514/25 का अभियुक्त आशीष कुमार पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम जारमानो थाना पुवायां जिला शाहजहाँपुर जो इस समय बण्डा रोड पर सबली टोल से करीब 100 मीटर पहले हाईवे पर खडा है कहीं जाने की फिराक में है। कहीं जाने की फिराक में है। उक्त सूचना पर पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को मुखबिर द्वारा बताये स्थान समय बण्डा रोड पर सबली टोल से करीब 100 मीटर पहले हाईवे पर पकड़ लिया पकड़े हुए व्यक्ति से नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली तो इस व्यक्ति ने अपना नाम आशीष कुमार पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम जारमानो थाना पुवायां जिला शाहजहाँपुर उम्र करीब 28 वर्ष बताया। उसको इसके जुर्म मु0अ0सं0 514/2025 धारा 137(2)/87/65(1)/109(1) बीएनएस व 3/4 (2) पाक्सो एक्ट से अवगत कराते हुए कारण गिरफ्तारी बताकर समय 07.10 बजे हिरासत पुलिस लिया गया। बाद आवश्यक विधिक कार्यवाही अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. आशीष कुमार पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम जारमानो थाना पुवायां जिला शाहजहाँपुर उम्र करीब 28 वर्ष

पंजीकृत अभियोग/गिरफ्तारी:-

1. मु0अ0सं0 514/25 धारा 137(2)/87/65(1)/109(1) बीएनएस व धारा 3/4 (2) पाक्सो एक्ट थाना पुवायां जनपद शाहजहाँपुर।

गिरफ्तारी का स्थान व समय:-

दिनांक 20.07.25 समय करीब 07.10 बजे प्रातः बण्डा रोड पर सबली टोल से करीब 100 मीटर पहले हाईवे

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. उ0नि0 श्री विशाल थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर
2. का0 1870 बिजेन्द्र सिंह थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर
3. का0 1181 गगन पवार थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर